

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय फैजाबाद

पत्रांक: लो०अ०वि०/पीए-४२/२००६

दिनांक: 18.03.2006

आदेश

आदेशानुसार सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 5(1) में निहित व्यवस्था के अधीन
निम्न अधिकारियों को सूचना अधिकारी नामित किया जाता है:-

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम	सम्बन्धित विभाग
1	कुलसचिव	साप्रशासन, शैक्षणिक, उपाधि, स्टोर, सम्बद्धन, विधि प्रकोष्ठ निर्मार्णकार्य एवं अन्य जो निम्नलिखित के अतिरिक्त हों।
2	वित्त अधिकारी	वित्तीय, लेखा, सम्परीक्षा एवं भौतिक सत्यापन
3	परीक्षा नियन्त्रक	परीक्षा सामान्य एवं नामांकन परीक्षा गोपनीय एवं परीक्षाफल प्रकाशन

उक्त अधिकारीगण उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सूचना नियमानुसार देने हेतु तात्कालिक प्रभाव से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।

(कुलसचिव)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1 निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ
- 2 वित्त अधिकारी
- 3 परीक्षा नियन्त्रक
- 4 सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)
- 5/ प्रोगामर
- 6 आदेश पुस्तिका
7. सूचना पट


(कुलसचिव)